

4. पानी के स्रोतों का विवरण :- टैंक / उथला कुंआ / उथला नलकूप / लघु या मध्यम उठाऊ योजना :

- क) पानी के स्रोत वाले खेत का खसरा नं०: _____ या डीजल /मिडटी तेल चालित इन्जन की हार्स पावर _____ मीटरों में _____
 ग) पम्प हैड _____ (मीटरों में) पाईप का ब्यास. _____
 घ) डिलीवरी हैड: _____ घनमीटर
 ङ.)जल भण्डारण टैंक का निर्माण (लम्बाई x चौड़ाई x गहराई) मीटरों में _____
 (जल भण्डारण टैंक का निर्माण अभिसरण द्वारा राज्य योजना -लिफ्ट एवं बोर वेल सिंचाई योजना के लिए उपदान के अन्तर्गत किया जायेगा)

शी

5. उपलब्ध स्रोत के जल की गुणवत्ता:

अच्छा / खारा

6. इस आवेदन से पहले स्थापित की गई सूक्ष्म सिंचाई योजना का विवरण, यदि स्थापित की है :

क. सं.	खसरा नं.	क्षेत्र का पहले योजना (हेक्टे)	विवरण सूक्ष्म सिंचाई स्थापित की है	जिसमें सिंचाई योजना की श्रेणी	स्थापित योजना की श्रेणी	सेवा प्रदायक कम्पनी का विवरण	इकाई स्थापित करने वर्ष	प्राप्त हुई अनुदान राशि

ख

7. अपेक्षित सूक्ष्म सिंचाई योजना का विवरण :

क. सं.	खसरा नं.	क्षेत्र का सिंचाई योजना श्रेणी है (हेक्टे)	जिसमें सूक्ष्म सिंचाई स्थापित की श्रेणी	अपेक्षित योजना की श्रेणी	दूरी (मी. x मी.)	फसल विवरण

ग.

8. विहित सेवा प्रदायक कम्पनी : नैऋ
 9. मैं सेवा प्रदायक कम्पनी के साथ एग्रीमेंट के साथ सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने हेतु कुल स्वीकृत राशि : 20 प्रतिशत लाभार्थी अंशदान की राशि को पीओआईओ या सम्बन्धित कम्पनी के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के रूप में दे के लिए सहमत हूँ ।
 10. यदि मैं सूक्ष्म सिंचाई इकाई स्थापित करने हेतु नाली खनन/सिविल कार्य डिजाईन के अनुरूप स्वयं करता हूँ किये गये कार्यों की अदायगी विभाग द्वारा मुझे की जाये या उसे मेरे 20 प्रतिशत भागिता में समायोजित किया जा । यदि नाली खनन/ सिविल कार्य सेवा प्रदायक कम्पनी द्वारा किये जाने की स्थिति में उस कार्य की अदाय कम्पनी को करने के लिये भी सहमत हूँ ।
 11. मैं योजना से सम्बन्धित निर्माण सामग्री को सड़क से योजना स्थल तक पहुंचाने का खर्चा स्वयं वहन करने के लिए सहमत हूँ ।
 12. मैं सेवा प्रदाता कम्पनी के माईस्ट्रीनुसुअर सिप्टल फर्टीगेशन टैंक और हैडकंट्रोल इकाई बनाने के लिए प लोटफार्म सहित उनसे सम्बन्धित सभी सिविल कार्य करने के लिए तैयार हूँ तथा उनके निर्माण पर आने वाला भी स्वयं वहन करूंगा/करूंगी ।
 13. मैं पम्पिंग सयंत्र को चलाने के लिए उपयुक्त पम्प-यूनिट एवं प्रयाप्त मात्रा में बिजली अपने खर्च पर उपय करवाऊंगा/करवाऊंगी ।
 14. मैं सूक्ष्म सिंचाई योजना के निर्माण एवं उसके परिक्षण के समय स्वयं उपस्थित रहूंगा/रहूंगी अन्यथा किसी अन्य अपने स्थान पर उपस्थित रहने व इस सन्दर्भ में रिपोर्ट हस्ताक्षर करने के लिए अधीकृत करूंगा/करूंगी ।

15. सूक्ष्म सिंचाई योजना के सफल परिष्करण के बाद मैं योजना को सेवा प्रदाता कम्पनी से अधीग्रहित करके इस संतुष्टि प्रमाण पत्र विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुरूप जारी कर दूंगा/दुंगी ।
16. मैं सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा सूक्ष्म सिंचाई योजना को सुचारु रूप से चलाने और उसके रख रखाव हेतु नियमों का पूर्णतः पालन करूंगा/करुंगी ताकि योजना प्रभावी रूप से सफल हो सके ।
17. उपरोक्त योजना के सन्दर्भ में मैं किसी भी प्रकार की झूठी शिकायत/दावा या विपरीत परिस्थिति उत्पन्न/करुंगी/करुंगी और इस सन्दर्भ में सभी मतभेदों और झगड़ों को स्थानीय स्तर पर सम्बन्धित विभाग/अधिकारी / सूक्ष्म सिंचाई योजना प्रदाता कम्पनी के साथ आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश करूंगा ।
18. मैं सूक्ष्म सिंचाई योजना को अपनी पंसदिदा सेवा प्रदाता कम्पनी जिसे विभाग ने राजीव गान्धी सूक्ष्म सिंचाई के अन्तर्गत मनोनीत किया हो, द्वारा स्थापित करने के लिए सहमत हूँ और उस सेवा प्रदाता कम्पनी सिंचाई योजना का खर्च प्रदान करने के लिए भी तैयार हूँ ।
19. मैं सूक्ष्म सिंचाई योजना का आगामी दस वर्षों तक देखभाल करने के लिए सहमत हूँ और इस अवधि में योजना को न तो बेचुंगा और न ही बदलूंगा । किसी भी उलंघन की स्थिति में मैं प्रदत्त अनुदान राशि के खाते में वापिस करने हेतु वाध्य रहूंगा ।
20. मेरे किसी भी कृत्य द्वारा औजारों या उपकरणों को हुए किसी भी प्रकार के नुकसान हेतु विभाग या कम्पनी जिम्मेवार नहीं होंगे ।
21. मैं सूक्ष्म सिंचाई योजना के विषय में किसी भी प्रकार का धारणाअधिकार (lien)/ आरोप (charge) करूंगा, और न ही योजना को आंशिक या पूर्ण रूप से हस्तान्तरित करूंगा ।
22. मैं राजीव गान्धी सूक्ष्म सिंचाई योजना के सन्दर्भ में विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा अनुसरण करने को तैयार हूँ ।
23. मैं सूक्ष्म सिंचाई योजना के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले जल भण्डारण टैंक का निर्माण निर्धारित 12 अवधि में तथा लघु या मध्यम जल उठाऊ इकाई, उथले कुएं या उथले नलकूप का निर्माण निर्धारित 1 पूर्ण करने के लिए सहमत हूँ ।
24. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सभी सूचनाएं सही हैं, तथा किसी भी सूचना के भ्रामक पर योजना हेतु विभाग से ली गई अनुदान राशि सरकार को वापिस करने हेतु वाध्य रहूंगा ।

भवदीय,

(हस्ताक्षर नाम दिना

निम्नलिखित दस्तावेजों की सही प्रतिलिपि संलग्न की जाती है :-

- 1 राजस्व रिकार्ड (ततिमा व जमाबन्दी की प्रति सम्बन्धित पटवारी द्वारा जारी की गई) की मूल प्रति ।
- 2 राशन कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति ।
- 3 आधार कार्ड/पहचान प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति
- 4 बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति (नाम व पूरा पता)।

10	सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से कुशल सिंचाई योजना	राज्य के सभी किसान जो प्रदेश में भू-मालिक हो इस योजना का लाभ लेने ले लिए पात्र हैं।	इस योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत सूक्ष्म/टपक सिंचाई इकाइयों की स्थापना के लिए नियमानुसार अधिकतम 80 प्रतिशत अनुदान राशि प्रदान की जाती है तथा जल स्रोत विकसित करने के लिए नियमानुसार अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान राशि प्रदान की जाती है।	आवेदन की कोई फीस नहीं है।	जोत-क्षेत्र जिसमें सूक्ष्म/टपक सिंचाई इकाई स्थापित की जानी प्रस्तावित की गई है का ततिमा एवं जमाबंदी की प्रति तथा भू-मालिकाना हक हिस्सेदारी में होने पर अन्य हिस्सेदारों का अनापति प्रमाण पत्र की प्रति, बैंक खाता की प्रति।	समीप के भू-संरक्षण कृषि विकास अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता के कार्यालय या उपमण्डलीय भू-संरक्षण अधिकारी के कार्यालय या हर जिला में उप कृषि निदेशक के कार्यालय को अपने आवेदन भेज सकते हैं।	फॉर्म
----	---	---	--	---------------------------	---	---	-------